

राजस्थान सरकार
राजरथ (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक ३(२)संल-८ / २००७, पार्ट /५

जयपुर, दिनांक: १२.०९.२०१८

१. समरत रामामोहन आयुक्त
२. समरत शिला कलेक्टर
राजस्थान।

पारिपत्र

Grem
०
१४/९/२०१८



१४२४
१८.९.१८

इस प्रिमांग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प २ (४) राज-४/९८/३७ दिनांक १३.१२.१९९१ के अन्तर्गत मंदिर माफी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे-

१. भविष्य में जो जमावंदी राजरथ विभाग या बंदोबरत विभाग द्वारा बनाई जाए उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जाए।
२. पशासनिक युविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्म में अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मादिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
३. जो जमावंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभावशील है, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया गया तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमावंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इरका समावित उद्देश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप या रहन या विक्षय न हो सके। इस आधार पर राजरथ रिकॉर्ड में जमावंदी से पंजारयों के नाम हटाए गए।

उक्त प्रिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नहीं करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफी की भूमियों के संबंध में समरस्याए राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समरयाओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

१. पूर्व प्रिपत्र दिनांक १३.१२.१९९१ की पालना में जमावन्दी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संघारित रजिस्टर में उसका अंकन नहीं किया गया हो तो दिनांक १३.१२.१९९१ को जमावन्दी में अंकित पुजारी/सेवायत का नाम इस हेतु पृथक निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।

2. राजरथान भूमि सुधार व जामीर पुनर्पर्यहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खालेदार पर्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को निली खालेदारी वाली पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिसे पुनः खालेदारी दी जा सकती है। इस संबंध में पूर्व में राजरथ विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खालेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व रपटीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खालेदार बन चुके पुजारियों के नाम जमाबंदी के खालेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।
3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से आद्यतन रखने हेतु पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटराईज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबंदी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबंधित खाले की जमाबंदी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।
4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में नियमानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगे:-
- मंदिर भूमि के विकास के लिए संबंधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
 - फसल खराबे की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
 - कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
 - इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहने न होती हो, उसमें उन्हे यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
 - मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी बहौसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।
5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलवटर

गोपीमादेव वा भूमि सर्वधी अतिक्रमण लिपोर्ट सिवायनक चारागाह भूमि
को तरहु राजरथ कमिंगों रो नियमित रूप से पास्त कर धारा १
राजस्थान भृ-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनक पकरण दर्जे
कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करें।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्राणीरोग निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निवाले के राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 3 जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
- 4 रामस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
- 5 राजेव पत्रापली।


संयुक्त शासन सचिव